पत्रांक–भवन / बजट–76–योजना–(विज्ञान एवं प्रा.वि.)–04 / 2016–17........ 2069 (अ)

बिहार सरकार
भवन निर्माण विभाग

सेवा में,

**महालेखाकार (ले. एवं हक) बिहार,**
वीरचन्द पटेल पथ, पटना।

पटना, दिनांक– 27/2/26

विषय– विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग की योजना के क्रियान्वयन हेतु **वित्तीय वर्ष 2025–26** में कुल **₹ 3,79,48,552 / –(तीन करोड़ उन्यासी लाख अड़तालीस हजार पाँच सौ बावन रूपये)** मात्र के व्यय की स्वीकृति।

आदेश– स्वीकृत।

कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल, किशनगंज द्वारा PMIS के माध्यम से समर्पित ऑनलाईन अधियाचना पर संबंधित अधीक्षण अभियंता एवं मुख्य अभियंता द्वारा की गयी अनुशंसा के आलोक में विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग की निम्न योजना के क्रियान्वयन हेतु कुल **₹ 3,79,48,552 / –(तीन करोड़ उन्यासी लाख अड़तालीस हजार पाँच सौ बावन रूपये)** मात्र का व्यय की स्वीकृति **वित्तीय वर्ष 2025–26** में प्रदान की जाती है :–

| क्रमांक | भवन प्रमंडल का नाम | अधियाचना आई0डी0 संख्या | योजना का नाम | स्वीकृत्यादेश संख्या / दिनांक | वित्तीय वर्ष 2025–26 के लिए व्यय हेतु स्वीकृत राशि |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | भवन प्रमंडल, किशनगंज | 29869 | सात निश्चय कार्यक्रम के अन्तर्गत किशनगंज जिला में सुथापित एवं संचालित राजकीय अभियंत्रण, महाविद्यालय ,किशनगंज के अतिरिक्त निर्माण कार्य यथा- सहायक प्राघ्यापक के लिए एक स्टूडियों अपार्टमेंट (G+5), 300 बेड का एक बालक छात्रावास (G+5) (02 Blocks),200 बेड का एक बालिका छात्रावास भवन (G+3), type C भवन (G+5) (गेस्ट हाउस/प्राघ्यापक/सह-प्राध्यापक/सहायक प्राघ्यापक) तथा एमेनिटी भवन (G+1) कार्य | 4850 / 04.11.24 | ₹ 3,79,48,552/- (तीन करोड़ उन्यासी लाख अड़तालीस हजार पाँच सौ बावन रूपये) |

2. उक्त कार्य पर राशि का व्यय मांग संख्या–03 के अन्तर्गत मुख्यशीर्ष–4202–शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूँजीगत परिव्यय–उपमुख्यशीर्ष–02–तकनीकी शिक्षा–लघुशीर्ष–105–इंजीनियरिंग / तकनीकी कॉलेज तथा संस्थान–उपशीर्ष–0105–अभियंत्रण महाविद्यालय भवन (निश्चय) **विपत्र कोड–03–4202021050105** के विषय शीर्ष–53–मुख्य निर्माण कार्य–0105.53.01 मुख्य निर्माण कार्य में उपबंधित राशि से **वित्तीय वर्ष 2025–26** में किया जाएगा।
3. इस राशि के निकासी एव व्ययन पदाधिकारी कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल, किशनगंज होंगे।
4. इस राशि की निकासी जिला कोषागार, किशनगंज से की जायेगी।
5. प्रस्ताव में आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति एवं सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।
6. स्वीकृत राशि के विरूद्ध आवंटन की कार्रवाई सी.एफ.एम.एसम. के माध्यम से की जा रही है।

27/2/26
(राजेश कुमार सिंह)
सरकार के अपर सचिव।